रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या- 7/2016/सीपी 67/84-2-2016-सीपी 6/2014
लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या- 12/2015/सीपी 329/84-2-2015-सीपी 6/2014, दिनांक 01.06.2015, द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर डा0 चरण सिंह पुत्र स्व0 जौहरी लाल, ए-92, पंचशील जजेज सोसाइटी, पाकेट-7, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर की नियुक्ति की गयी थी।

2 उक्त अधिसूचना दिनांक 01.06.2015 में डा0 चरण सिंह को निर्देशित किया गया था कि पत्र प्राप्ति के 15 दिवसों के अंदर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ से कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण करें।

3 निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या- 3487/ एससीडीआरसी/अधि 31/15, दिनांक 06 अक्टूबर 2015 में प्राप्त सूचना के अनुसार डा0 चरण सिंह द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

4 अतएव डा0 चरण सिंह को शासन के पत्र संख्या- सीपी 635/84-2-2015-सीपी 6/2014, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 द्वारा कारण बताओ नोटिस इस निर्देश के साथ गयी थी कि शासन की अधिसूचना दिनांक 1.06.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। अत: इससे यह स्पष्ट होता है कि जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण के इच्छुक नहीं है, क्यों न आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाय।

5 इस सम्बन्ध में डा0 चरण सिंह ने अपने पत्र दिनांक 14 नवम्बर, 2015 द्वारा अनुरोध किया गया कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, जिला बहराइच में समुचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए राज्य विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 को पत्र भेजकर आग्रह किया गया था कि उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर में कर दिया जाय अथवा उनकी नियुक्ति वहां पर कर दिया जाय, जहां पर राज्य मेडिकल कालेज हैं। यदि ऐसा संभव न हो तो कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन माह का समय प्रदान कर दिया जाय।

6 डा0 चरण सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु मांगे गये तीन माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उनके द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 5063 /एससीडीआरसी/अधि 31/15, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा अवगत कराया गया कि जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में अध्यक्ष के पद पर डा0 चरण सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण न किये जाने के फलस्वरूप न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्य बाधित हो रहा है तथा

------2-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपभोक्ताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। अत: निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ ने जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में डा0 चरण सिंह की अध्यक्ष के पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

7 अत: निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए डा0 चरण सिंह पुत्र स्व0 जौहरी लाल, ए-92, पंचशील जजेज सोसाइटी, पाकेट-7, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर की अधिसूचना संख्या-12/2015/सीपी 329/84-2-2015-सीपी 6/2014, दिनांक 01.06.2015 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में अध्यक्ष के पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त करने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी0-1, विक्रान्तखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, बहराइच।
(3) कोषाधिकारी, बहराइच।
(4) कार्यालय जिला उपभोकता फोरम, बहराइच (द्वारा निबंधक, राज्य आयोग)
(5) डा0 चरण सिंह पुत्र स्व0 जौहरी लाल, ए-92, पंचशील जजेज सोसाइटी, पाकेट-7, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर ।
(6) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।